



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency



आदेश सं०: SHSB/GA/HR/2097/2016/.....

पटना, दिनांक:...../06/2019

- :आदेश:-

विज्ञापन सं० 09/2018 के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति के आदेश ज्ञापांक 1411 दिनांक 01.06.19 के आलोक में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों को राज्य में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मुहैया कराने हेतु जनहित में सदर अस्पतालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सक-Ophthalmologist के संविदागत पदों पर चयनित अधोलिखित अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से स्तम्भ-7 में अंकित मानदेय पर नियोजित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित सदर अस्पताल में पदस्थापन किया जाता है:-

क्र. सं.	रौल नं०	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	पिता का नाम	पदस्थापन अस्पताल	मानदेय/ प्रतिमाह (रुपै)
1	2	3	4	5	6	7
1.	18093050	DR. VIDYA BHUSHAN KUMAR, DNB	17 Feb 1981	BISHESHWAR PRASAD	सदर अस्पताल, नालन्दा	1,00,000/-
2.	18093012	DR. AAYUSHI, MS	1 Mar 1987	SACHIDANAND SINGH	सदर अस्पताल, नवादा	1,00,000/-
3.	18093043	DR. SONI KUMARI, DNB	1 Mar 1980	UMESH MISHRA	सदर अस्पताल, खगड़िया	1,00,000/-
4.	18093029	DR. PUNIT KUMAR SINGH, MS	24 Aug 1981	VIJAY KISORE SINGH	सदर अस्पताल, सारण	1,00,000/-
5.	18093059	DR. BARKHA SOLANKI, MS	30 Nov 1982	MRIGENDRA PRASAD SINGH	सदर अस्पताल, शेखपुरा	1,00,000/-
6.	18093033	DR. MANOJ KUMAR SINGH, MS	5 May 1969	MURLI DHAR SINGH	सदर अस्पताल, बक्सर	1,00,000/-
7.	18093008	DR. RUPAK KUMAR JHA, MS	30 Dec 1986	BUDDHINATH JHA	सदर अस्पताल, भोजपुर	1,00,000/-

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि:-

- दिनांक 25 जून, 2019 तक उपरोक्त चिकित्सक अपने नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित अस्पताल में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।
- योगदान के पश्चात् एकरानामा करने के लिए 1,000/- रुपये का Non Judicial स्टाम्प पेपर, NOC (यदि लागू हो, तो) एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (जो सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो) के साथ, स्वयं दिनांक 28 जून, 2019 तक, प्रभारी, मानव संसाधन, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के समक्ष उपस्थित





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency



होंगे, ताकि राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य समिति के साथ उनका एकरारनामा सम्पन्न हो सके।

- iii. यदि किसी संस्थान में कार्यरत है अथवा सरकारी सेवा में है अथवा अनुबंध पर कार्यरत है, तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।
- iv. वैसे अभ्यर्थी, जो MD/MS/DNB डिग्रीधारी है किन्तु MCI/BMRC में निबंधन नहीं करा पाए है उन्हें निदेशित किया जाता है कि संबंधित निबंधन नियोजन की तिथि से एक (01) माह के अंदर MD/MS/DNB उपाधि का MCI/BMRC में निबंधन कराकर निबंधन प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति मानव संसाधन कोषांग को समर्पित करे एवं मूल निबंधन प्रमाण-पत्र दिखावे अन्यथा उनका नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।
- v. यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए किया जायगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 03 (तीन) वर्ष तक या पहले की स्वीकृति, राशि की उपलब्धता होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) संविदा अवधि का विस्तार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से किया जा सकेगा।।
- vi. चयनित अभ्यर्थियों का नियमिती करण अथवा पुनर्नियोजन हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- vii. पदस्थापन जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा एकरारनामा करने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- viii. सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा।
- ix. उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों का नियोजन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाणपत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायगा एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।
- x. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन Ophthalmologist के संविदागत पद हेतु सभी नवनियोजित अभ्यर्थियों को उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-7 में अंकित एकमुस्त मानदेय



प्रतिमाह का भुगतान FMR code-8.1.3.5 के तहत संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति/स्वास्थ्य संस्थान से किया जाएगा।

3. सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव/संबंधित स्वास्थ्य संस्थान के अधीक्षक/उपाधीक्षक नवचयनित अध्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद, अस्पताल में रोस्टर डचूटी में नाम शामिल कराते हुए रोस्टर डचूटी के अनुरूप उनसे कार्य लेना प्रारंभ करें, ताकि जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। उक्त अनुपालन की सूचना अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

4. प्रकाशित प्रतीक्षा सूची के क्रमांक-4 पर अंकित PUNIT KUMAR SINGH के नाम के सम्मुख अभ्युक्त कॉलम में अंकित कमियों के निराकरण के पश्चात् ही इनका पदस्थापन सम्बन्धी आदेश निर्गत किया जाएगा।

ह०/-

(मनोज कुमार)

ज्ञापांक: 1692

पटना, दिनांक: 13./06/2019

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, स्वास्थ्य-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थी।

प्रतिलिपि: अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थी।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति/अधीक्षक/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशासी पदाधिकारी/उप सचिव-सह-प्रभारी, मानव संसाधन/अपर निदेशक, वित्त/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित नवचयनित अध्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत वेबसाइट www.statehealthsocietybihar.org पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

कार्यपालक निदेशक